

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021—फाल्गुन 21, शक 1942

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 फरवरी 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, समाज कल्याण तथा आयुक्त, निःशक्तजन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. सिंह, सचिव.

**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/6(पार्ट).— छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1988) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गयी सारिणी के कालम नं.- 2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारिणी के कालम नं.-4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कालम नं.-3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्ति करता है :—

| क्र. | अधिकारी का नाम/पदनाम                         | छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धाराएं                                                                                                                                                                         | क्षेत्र                                                |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                                    |
| 1.   | श्री आर.आर. राजभानू<br>उप पंजीयक             | धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2),<br>27, 28, 29, 31, 37, 38, 39                                                                                                                                               | रायपुर संभाग                                           |
| 2.   | श्री नरेन्द्र कुमार नारनवरे,<br>सहायक पंजीयक | धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2),<br>27, 28, 29, 31, 37, 38, 39(2) महिला एवं सहायता<br>समूह, महिला मंडल, नवयुवक मंडल श्रेणी के सभी संभागों<br>की समितियों का अधिनियम की धारा-34 के अधीन<br>पंजीयन निरस्तीकरण. | छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय<br>की संस्था एवं बस्तर<br>संभाग |

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षक रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कमलेश बंसोड़**, अवर सचिव.

**गृह (पुलिस) विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 7-05/2019/दो-गृह/भापुसे.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-02-2020 जिसके द्वारा श्री किरण गंगाराम चाव्हाण, (भापुसे 2018), परीवीक्षाधीन, जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिला बिलासपुर, छ.ग. को दिनांक 10-01-2020 से 14-12-2020 (कुल 338 दिवस) तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त स्वीकृत अवकाश के तारतम्य में श्री किरण गंगाराम चाव्हाण, (भापुसे 2018) को दिनांक 15-12-2020 से 17-01-2021 (कुल 32 दिवस) तक का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

3. आदेश दिनांक 04-02-2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मनोज श्रीवास्तव**, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

| भूमि का वर्णन |        |                       |                                  | धारा 12 के द्वारा                                                     | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                                             |
|---------------|--------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                                                     | का वर्णन                                                                                                      |
| (1)           | (2)    | (3)                   | (4)                              | (5)                                                                   | (6)                                                                                                           |
| रायगढ़        | रायगढ़ | तारापुर<br>प.ह.नं. 18 | 1.113                            | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन<br>संभाग, रायगढ़, जिला-रायगढ़<br>(छ.ग.). | साल्हे एनीकट (माण्ड<br>नदी पर) अपस्ट्रीम<br>एवं डाउन स्ट्रीम बंड<br>तथा पहुंच मार्ग निर्माण<br>हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भीम सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2021

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-रायगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-लोईंग  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.693 हेक्टेयर

क्रमांक 08/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 217        | 0.176                  |
| 215        | 0.020                  |
| 436/2      | 0.008                  |

| (1)       | (2)   | (1)   | (2)      |
|-----------|-------|-------|----------|
| 199/1     | 0.132 | 423   | 0.060    |
| 291/5     | 0.100 | 211   | 0.060    |
| 294/1     | 0.024 | 294/2 | 0.068    |
| 299/1     | 0.248 | 295   | 0.212    |
| 299/2     | 0.040 | 288/1 | 0.008    |
| 511/1क    | 0.068 | 293   | 0.080    |
| 516/2     | 0.060 | 322/1 | 0.275    |
| 519       | 0.012 | 319/2 | 0.012    |
| 469/2     | 0.064 | 513   | 0.008    |
| 441       | 0.020 | 510/2 | 0.060    |
| 432       | 0.008 | 517/1 | 0.060    |
| 427/2     | 0.108 | 469/1 | 0.068    |
| 203       | 0.208 | 466/3 | 0.152    |
| 216/1     | 0.012 | 433/1 | 0.008    |
| 213/1     | 0.089 | 425/3 | 0.096    |
| 204/571/2 | 0.024 | योग   | 59 4.693 |
| 291/2     | 0.121 |       |          |
| 297       | 0.272 |       |          |
| 303/3     | 0.020 |       |          |
| 306       | 0.040 |       |          |
| 511/1ख    | 0.072 |       |          |
| 517/2     | 0.016 |       |          |
| 470/2     | 0.032 |       |          |
| 467       | 0.092 |       |          |
| 435       | 0.008 |       |          |
| 431/2     | 0.008 |       |          |
| 424/2     | 0.024 |       |          |
| 289       | 0.368 |       |          |
| 216/2     | 0.020 |       |          |
| 212       | 0.036 |       |          |
| 204/571/3 | 0.064 |       |          |
| 292/2     | 0.068 |       |          |
| 301/3     | 0.064 |       |          |
| 303/4     | 0.040 |       |          |
| 506/1     | 0.216 |       |          |
| 510/3     | 0.100 |       |          |
| 517/3     | 0.080 |       |          |
| 466/2     | 0.216 |       |          |
| 466/1     | 0.020 |       |          |
| 434/2     | 0.008 |       |          |
| 422       | 0.040 |       |          |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़ के लिए लोईंग माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्रमांक/4786/वा./भू.अ./प्र.क्र./20/अ-82/2017-18.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

| अनुसूची                          |                        | (1)                                                                                                                                              | (2)  |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) भूमि का वर्णन-               |                        | 535                                                                                                                                              | 0.30 |
| (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर      |                        | 536                                                                                                                                              | 0.12 |
| (ख) तहसील-नरहरपुर                |                        |                                                                                                                                                  |      |
| (ग) नगर/ग्राम-सारवण्डी           | योग                    | 7                                                                                                                                                | 0.58 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर |                        |                                                                                                                                                  |      |
| खसरा नम्बर                       | रकबा<br>(हेक्टेयर में) | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांकेर-दुधावा मार्ग के कि.मी. 25/4 ग्राम सारवण्डी नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुँचमार्ग निर्माण हेतु. |      |
| (1)                              | (2)                    | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.                          |      |
| 132                              | 0.01                   | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.                                                         |      |
| 296                              | 0.02                   |                                                                                                                                                  |      |
| 297                              | 0.04                   |                                                                                                                                                  |      |
| 298                              | 0.03                   |                                                                                                                                                  |      |
| 534                              | 0.06                   |                                                                                                                                                  |      |

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

डी.के.एस. भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक एफ-68-90/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/301

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2021

संजय सिंह, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगरपालिका परिषद् अहिवारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

### आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

- यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग के प्रतिवेदन दिनांक 27-1-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् अहिवारा जिला दुर्ग के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी संजय सिंह भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगरपालिका परिषद् अहिवारा, जिला दुर्ग के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी संजय सिंह द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी संजय सिंह को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा-32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 29-5-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका

का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 26-6-2020 को तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह मानते हुए कि अभ्यर्थी संजय सिंह को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं करना है; तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाई की गई.

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग द्वारा दिनांक 27-1-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगरपालिका परिषद् अहिवारा जिला दुर्ग के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पद के अभ्यर्थी संजय सिंह ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), दुर्ग के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् अहिवारा जिला दुर्ग के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पद के अभ्यर्थी संजय सिंह ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी संजय सिंह प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी संजय सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग(ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.
6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 6 फरवरी, 2021 को जारी किया गया.

**ठाकुर राम सिंह,**  
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th February, 2021

No. 94/Confdl./2021/II-2-90/2001 (Part-III).— Shri Yogesh Pareek, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Korba, is hereby, appointed as Registrar (Judicial) in the establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,  
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.